न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या 08/2019

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
भूराराम पुत्र पीराराम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तहसील शिवगंज जिला सिरोही। हाल– बर्खास्त		जिला कलेक्टर सिरोही।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर सिरोही के स्थापन/2018/121 दिनांक 6.2.2018 बाबत अपीलान्ट को सेवा से पदच्युत करने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता श्री राजेश शाह उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, शिवगंज उपस्थित।

निर्णय

दिनांक अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट की अपील में उल्लेखित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट को जिला कलेक्टर सिरोही ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.2.2018 के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित कर अपीलान्ट को राज्यसेवा से पदच्यतुत करने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 14.8.2018 को प्रस्तुत की गई है।

2. जिस पर अपील दर्ज की जाकर जिला कलेक्टर कार्यालय से टिप्पणी एवं मूल रेकर्ड तलब किया गया एवं अपीलान्ट को विभागीय पैरोकार को उपस्थित होने हेतु सुनवाई नोटिस जारी किये गये।

3. अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक तथा विभागीय पैरोकार न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित हुए। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील मिमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट के पिता स्व. पीराराम मीणा, पशु रक्षक के पद पर वन विभाग सिरोही में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 13.7.2007 को मृत्यु हो जाने पर अपीलान्ट की मृतक आश्रित के रूप में दिनांक 16.5.2008 चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुई तथा पदस्थापन तहसील कार्यालय शिवगंज में किया गया।

4. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि जिला कलेक्टर सिरोही के ज्ञापन क्रमांक 583 दिनांक 30.9.2015 के द्वारा अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया गया कि ''आप कलेक्टर कार्यालय सिरोही में प्रतिनियुक्ति पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। आप दिनांक 23.7.2015 से 29.7.2015 तक बिना कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये कार्यालय से अनुपस्थित है। आपके पूर्व में भी अनुपस्थित रहने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 830 दिनांक 19.11.2014 से भविष्य में बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर प्रस्थान नहीं करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात भी पुनः दिनांक 19.12.2014 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने पर इस कार्यालय के पत्रांक 15 दिनांक 6.1.2015 से नोटिस अन्तर्गत धारा 86 राज0 सेवा नियम जारी कर आपके जबाब पर कार्यालय आदेश संख्या 125 दिनांक 19.3.2015 से चेतावनी दी गई कि भवि य में बिना अवकाश स्वीक त कराये कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। फिर भी आप कार्यालय से बिना अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक 23.7.2015 से 29.7.2015 तक अनुपस्थित रहे। इस प्रकार आपको चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी आपका यह कृत्य बिना पूर्वानुमति के अवकाश पर जाने से आचरणहीनता व अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही साबित करता है जिसके लिये आप दोषी है।''

5. अपीलान्ट के उक्त ज्ञापन का जवाब का नियत समय में प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा बार–बार स्मरण जारी करने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं

किये जाने एवं अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अवसर दिये जाने पर भी अपीलान्ट के उपस्थित नहीं रहने पर जिला कलेक्टर सिरोही ने अपीलान्ट पर आरोपित आरोप को प्रमाणित होना मानते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2018 के द्वारा अपीलान्ट को सेवा से पदच्युत कर दिया।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलान्ट एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के जरिये दण्डित करने से पूर्व सीसीए नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

7. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट पर केवल मात्र आरोपित आरोप के जरिये ही सेवा दुषित मानी जा सकती है, इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की सेवा साफ–सुथरी चली आ रही है एवं उसके सेवा रिकार्ड में किसी प्रकार की विपरित एन्ट्री नहीं की गई है। अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने का कारण उसकी पारिवारीक परिस्थिति तथा बीमारी होना रहा है।

8. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में सीसीए नियमों के तहत की गई कार्यवाही को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा तथा अपीलान्ट के जवाबी पक्ष का परीक्षण करने के उपरान्त सहानुभूति रखते हुए समाप्त किया गया था परन्तु अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट को सेवा से पदच्युत किया गया है, वो आरोपित आरोप में वर्णित कृत्य के फलस्वरूप बहुत ज्यादा तथा आनुपातिक दृष्टि से भी बहुत बडा प्रतीत होता है।

9. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राज0 सेवा नियमों के नियम 16 के तहत विभागीय जॉच अधिकारी की नियुक्ति की जाकर उनसे

जॉच कार्यवाही पूर्ण करवानी चाहिये थी तथा विभागीय जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही यथोचित आदेश पारित करते, परन्तु ऐसा नहीं कर सीसीए नियमों का उल्लंघन किया गया है।

10. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मृतक आश्रित कर्मचारी के रूप में नियुक्त रहा है और प्रतिमाह मिलने वाले वेतन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा है एवं अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। अपीलाधीन आदेश के कारण वह अपने परिवार का पालन करने में असमर्थ हो जायेगा एवं उसे व उसके परिवार को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड जायेगें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.6.2018 को निरस्त किया जावें एवं अपीलान्ट को पुनः राज्य सेवा में बहाल करने का आदेश प्रदान किया जावें।

11. प्रत्युतर में जिला कलैक्टर कार्यालय की ओर से तहसीलदार शिवगंज विभागीय पैरोकार के रूप में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा यह निवेदन किया कि अपीलान्ट आदतन अनुपस्थित रहने लग गया। जबकि अपीलान्ट के द्वारा पूर्व में जारी ज्ञापन/नोटिसों के प्रत्युतर में भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराने का लिखित में दिये जाने के बावजूद भी बार–बार गलती को दोहराता रहा और कुछ अन्तराल के बाद बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहा है। फिर भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट जो कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, पर सहानुभूमि रखते हुए कई बार चेतावनी देकर विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया। उसके उपरान्त भी अपीलान्ट कार्मिक आरोपित आरोप में वर्णित अवधि में जानबुझकर अनुपस्थित रहा है और उसको इस बाबत जारी नोटिस का नियत समय में जवाब प्रस्तुत नहीं करना और जबाव प्रस्तुत करने हेतु तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वह जबाव प्रस्तुत नहीं करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई तिथी को

अनुपस्थित रहा तथा उसके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं की गई है। इन सभी तथ्यों के आधार पर श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे और अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावें।

12. हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रेषित की गई टिप्पणी व विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट कार्मिक के विरूद्ध जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से अपीलाधीन आदेश से पूर्व की अवधि में भी अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित करते हुए उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए कार्यवाही को निरस्त किया गया है, उसके उपरान्त भी अपीलान्ट के द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पूर्ण रवैया रखते हुए अपने उच्चाधिकारियों को किसी प्रकार की पूर्व सूचना दिये बिना ही अनुपस्थित रहने का आदि रहा है।

13. ऐसे में अपीलान्ट के प्रति अब और उदारता रखे जाने से उसकी अपील को स्वीकार किये जाने से अन्य कार्मिकों में इसका गलत संदेश जायेगा एवं उन पर भी विपरित असर पडेगा और अपीलान्ट का हौसला भी बढेगा। विद्वान जिला कलेक्टर ने भी अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलाधीन कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व उसे अपना प्रत्युतर प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना प्रकट है, इसके उपरान्त भी अपीलान्ट के द्वारा किसी प्रकार की जबावदेही नहीं समझी और ज्ञापन/नोटिस की कार्यवाही को हल्के में लिया है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में भी ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा गंभीर परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे उसके प्रति अपीलीय न्यायालय नरमी बरते। अतः उपरोक्त उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि जिला कलेक्टर

सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.2.2018 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.2.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 13 अगस्त, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर